न्यायालय अपर सिविल जज (जु०डि०)–02/जे०एम०, गौतमबुद्धनगर।
उपस्थितः जूही आनन्द (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

प्रार्थना पत्र संख्या–64/2026
अरबिन्द कुमार बनाम राहुल सिंह आदि
धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस०
थाना सैक्टर–49, नोएडा, गौतमबुद्धनगर

दिनांकः–04.06.2026 (लंच बाद)

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र 173 (4) बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन है कि उक्त विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ विश्वास का संबंध स्थापित कर योजनाबद्ध तरीके से समय–समय पर धनराशि उधार ली। प्रारंभ में कुछ धनराशि वापस कर उन्होंने प्रार्थी का विश्वास अर्जित किया, जिसके बाद पिछले लगभग 3 वर्षों में आरोपी राहुल सिंह द्वारा प्रार्थी से अंकन 9,50,000/–रूपये ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं०–2 द्वारा 25,000/–रूपये वर्ष 2025 में लिए गए तथा जनवरी 2026 के आसपास अंकन 1,50,000/–नकद भी विपक्षी सं०–1 द्वारा प्राप्त किए गए। जब प्रार्थी ने अपनी धनराशि वापस मांगी तो विपक्षी राहुल सिंह ने प्रार्थी को गुमराह करने एवं झूठा विश्वास दिलाने के उद्देश्य से एक फर्जी/कूटरचित लोन सैक्शन डॉक्यूमेंट (Aditya Birla Finance Limited के नाम से) दिखाया और यह कहा कि उसका 1,00,000/–रूपये का लोन स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही धनराशि प्राप्त होते ही वह प्रार्थी का पूरा पैसा लौटा देगा। प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज की जांच कराए जाने पर यह तथ्य सामने आया कि उक्त लोन वास्तव में "Royal PG" नामक अन्य व्यक्ति/संस्था के नाम पर स्वीकृत था और विपक्षी सं0–1 राहुल सिंह ने धोखाधड़ी की नियत से ने उसमें कूटरचना कर परिवर्तन किया और उक्त फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर प्रार्थी को धोखे में रखा। इसके पश्चात विपक्षीगण अचानक अपना निवास छोड़कर फरार हो गए तथा वर्तमान में अपनी ससुराल GAURI KHURD BANDA, CHANDWARA, BO 31, UP-210126 में छिपकर रह रहे हैं, जहाँ उन्होंने प्रार्थी से ठगे गए पैसों से चल–अचल संपत्ति (प्लॉट आदि) खरीद लिए हैं। जब प्रार्थी ने विपक्षी सं0–2 की सास से संपर्क किया तो उसने प्रार्थी को अशोभनीय गालियां दीं एवं स्पष्ट रूप से धमकी दी कि "यहाँ फोन मत करना, यहाँ आकर ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम राहुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह अब कभी नोएडा नहीं आएगा।"अब आरोपीगण WhatsApp कॉल के माध्यम से अपने रिश्तेदारों से संपर्क में हैं तथा स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने उक्त धनराशि से संपत्ति खरीद ली है और अब उनके पास वापस करने हेतु पैसा नहीं है। यह कहकर फोन काट दिया। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना दिनांक 08.04.2026 को डाक द्वारा थानाध्यक्ष थाना सै0–49 गौतमबुद्धनगदर को दी, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, पहचान प्रमाण वादी व विपक्षी, संबंधित थाने पर दी गयी शिकायत की प्रति,ट्रेकिंग रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या यू.पी.आई. ट्रांसफर की प्रति, जालसाजी किये गये दस्तावेज की प्रति पत्रावली पर दाखिल किये गये है।

थाना सैक्टर–49, नोएडा की आख्यानुसार ''विपक्षीगण द्वारा आवेदक को विश्वास में लेकर उससे लगभग 950000/–रूपये ले लिये गये व आवेदक के मांगने पर वापिस नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में थाना हाजा के अभिलेखों के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।''

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में जो तथ्य वर्णित किये गये है, वे सभी तथ्य प्रार्थी के संज्ञान में है। प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण एवं गवाहों के नाम व पते स्पष्ट रूप से अंकित हैं। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस विवेचना की कोई आवश्यकता इस स्तर पर प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी अपने केस को साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है तथा प्रर्थी जो भी साक्ष्य तलब कराना चाहे वह न्यायालय के माध्यम से तलब करवा सकती है।

पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों, थाने की आख्या एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से तथा **सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2007 (59) ए सी सी 739** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि धारा 156 (3) दं०प्र०सं० धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०) के अन्तर्गत न्यायालय को आदेश उसी स्थिति में पारित करना चाहिए जबकि किसी तथ्य का ज्ञान अन्वेषण से ही हो सकता है। उचित मामलों में मामला परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०) केवल इसी आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सुविधापूर्ण हैं। न्यायालय प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में स्वीकार करते हुए कार्यवाही कर सकता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के प्रकाश में एवं संलग्न प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। धारा–223 बीएनएसएस के अन्तर्गत परिवादी अभिकथन हेतु पत्रावली दिनांक 14.07.2026 को पेश हो।

(जूही आनन्द)
अपर सिविल जज (जू०डि०)–02/जे०एम०,
गौतमबुद्धनगर।
जे0ओ0 कोड नं0–यू.पी.–4714